

न्यायालय :-सदस्य, द्वि०अति० मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
(पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झोड़)

मोटर दुर्घटना दावा.-25 / 2017

संस्थित दिनांक -11.05.2016

Filling No. MACC/27/2017

CNR No. MP50050000702017

- 1- मनीराम ठाकरे पिता यशवंतराय ठाकरे उम्र 60 वर्ष
2- कासनबाई पति मनीराम ठाकरे उम्र 55 वर्ष
दोनों निवासी-ग्राम पोंडी तहसील परसवाड़ा
जिला बालाघाट - - - - - **आवेदकगण।**

- / / **विरुद्ध** / / -

- 1- लक्ष्मीप्रसाद बोपचे पिता रामप्रसाद बोपचे उम्र 20 वर्ष
निवासी-ग्राम उकवा तहसील बैहर जिला बालाघाट
2- सुरेन्द्र कुमार गौतम पिता हीरालाल गौतम
निवासी-ग्राम खमरिया पो. रूपझर तहसील बैहर जिला बालाघाट
3- नेशनल इंश्योरेंस कंपनी शाखा कार्यालय स्टेशन रोड
खंडेलवाल बिल्डिंग जिला बालाघाट - - - **अनावेदकगण**

=====

आवेदकगण द्वारा श्री हेमेश्वर बिसेन अधिवक्ता।

अनावेदक क्रमांक 1 पूर्व से अनुपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा श्री सिराज कुरैशी अधिवक्ता।

=====

- / / **अधिनिर्णय** / / -

(आज दिनांक **05 जुलाई 2017** को घोषित)

1. आवेदकगण ने यह मोटर दुर्घटना दावा दिनांक 07.12.2015 को 11:00 बजे पांगोरझोड़ी चौराहा लोकमार्ग पर मृतक मोहनलाल अपनी भाभी को मोटरसायकल में बैठाकर अपने गांव आ रहा था। तभी सामने की ओर से वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच. 31 सी.बी. 9115 के चालक द्वारा वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए उसकी मोटरसायकल में टक्कर मार दी जिससे मोहनलाल ठाकरे

की घटनास्थल पर मृत्यु हो जाने से अनावेदकगण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति राशि 22,50,000/— रूपए दिलाए जाने हेतु पेश किया है।

2. आवेदन पत्र का सार यह है कि मृतक मोहनलाल उम्र 32 वर्ष ग्राम पोंडी तहसील परसवाडा जिला बालाघाट का निवासी था। वह राज मिस्त्री कार्य कर 12,000/—रु. मासिक आय अर्जित करता था। दिनांक 07.12.2015 को 11:00 बजे मृतक अपनी भाभी को मोटरसायकल में बैठाकर वापस अपने गांव आ रहा था तभी पोंगारझोडी चौराहा के पास सामने आ रहे डम्पर क्रमांक एम.एच. 31 सी.बी. 9115 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और मृतक की मोटरसायकल में टक्कर मार दी जिससे मृतक और उसकी भाभी घटनास्थल पर गंभीर रूप से घायल होकर मिर गये एवं गंभीर चोट आने से मोहनलाल की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

3. दुर्घटना के पश्चात् घटना की जानकारी मृतक के परिवार को दी, घटना की रिपोर्ट थाना परसवाडा में दर्ज कराई, मृतक मोहनलाल के शव का पंचनामा बनाया गया, शव परीक्षण पश्चात् शव मृतक के परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक मोहनलाल की असामयिक मृत्यु हो जाने से भविष्य में होने वाली आय की क्षति 18,00,000/—, शारीरिक व मानसिक क्षति के पेढे 2,00,000/—, आवेदकगण को पुत्र स्नेह से क्षति के मद में 2,00,000/—, अंतिम संस्कार व तेरहवीं के मद में 50,000/—, कुल 22,50,000/—रु. राशि पाने के लिये दावा पेश किया है। साथ ही 9 प्रतिशत ब्याज दिलाए जाने और अन्य अनुतोष की याचना की है।

4. अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 ने उत्तर पेश नहीं किया है।

5. अनावेदक क्रमांक 3 ने उत्तर पेश कर कर आवेदन में लेख तथ्यात्मक अभिकथनों को अस्वीकार किया है। दिनांक 07.12.2015 को अना.क्र. 1 द्वारा दुर्घटना कारित कर मृतक मोहनलाल की मृत्यु होना इंकार किया है। मृतक 32 वर्षीय हष्ट-पुष्ट मस्तिष्क का व्यक्ति होना इंकार किया है,

राजमिस्त्री एवं कृषि कार्य करना इंकार किया है, मृतक अपने परिवार का पालन पोषण करता था, इंकार किया है। आवेदकगण को 22,50,000/-रु. की क्षति होना इंकार किया है। मृतक घटना दिनांक को अपनी भाभी को मोटरसायकल में बैठाकर अपने गांव वापस आ रहा था इंकार किया है, घटनास्थल पर मृत्यु हो जाना इंकार किया है। अना.क्र. 3 उक्त क्षतिपूर्ति राशि अदाएगी हेतु उत्तरदायी होना इंकार किया है।

6. विशिष्ट कथन करते हुए लेख किया है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा पॉलिसी की प्रति पेश नहीं की गई है इसलिए अना.क्र. 2 को उन्मुक्त किया जावे। वाहन क्रमांक एम.एच. 31 सी.व्ही. 9115 के चालन के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी, वाहन की फिटनेस वैध नहीं थी। इस प्रकार बीमा शर्तों का उल्लंघन होने से अना.क्र. 3 बीमा कंपनी का उत्तरदायी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु नहीं है। दावा निरस्त किए जाने की याचना की है।

7. दावे के निराकरण के लिए निम्नानुसार विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं :-

क	विचारणीय	निष्कर्ष
1.	क्या 07.12.2015 को 11:00 बजे ग्राम पोंगारझोड़ी चौराहा अंतर्गत थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.एच. 31 सी.बी. 9115 को अना.क्र. 1 ने उतावलेपन अथवा लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोहनलाल ठाकरे की मृत्यु कारित की ?	प्रमाणित नहीं
2.	क्या उक्त दुर्घटना दिनांक, समय, स्थान पर उपरोक्त वाहन को अना.क्र. 1 द्वारा चलाया जाते समय अना.क्र.2 उक्त वाहन का स्वामी था तथा अना.क्र. 3 के पास उक्त वाहन बीमित था?	प्रमाणित
3.	क्या उक्त दुर्घटना दिनांक, समय, स्थान पर अना.क्र. 1 ने बिना वैध चालन अनुज्ञप्ति के तथा बिना परमिट के वाहन चलाकर बीमा शर्तों का उल्लंघन किया ?	प्रमाणित

4.	क्या आवेदकगण, अनावेदकगण से पृथक-पृथक अथवा संयुक्त रूप से 22,50,000 /-रु. क्षतिपूर्ति राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित पाने के अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं
5.	सहायता एवं व्यय ?	दावा निरस्त

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

8. विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 को प्रमाणित करने हेतु आवेदकगण ने स्वयं की साक्ष्य नहीं कराई है। आवेदकगण ने किसी अन्य साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई कराई है। सूची सह प्रस्तुत दस्तावेजों को शपथ पर कथन करते हुए प्रदर्शित नहीं कराया है, इसलिए प्रस्तुत दस्तावेजों मात्र के आधार पर विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 प्रमाणित नहीं है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

9. विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 के निराकरण हेतु आवेदक पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अनावेदक क्रमांक 3 के साक्षी **अनुपम शुक्ला (अना.सा.1)** ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत पेश मुख्य कथन के पद क्रमांक 2 में साक्ष्य दी है कि कि वह नेशनल इंश्योरेंस कंपनी शाखा कार्यालय बालाघाट में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थ है। प्रकरण से संबंधित कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज लेकर आया है। बीमा पॉलिसी नंबर 321602/31/12/6300002553 अवधि 26.06.15 से 25.06.2016 तक जारी की गई थी। इस साक्षी ने मुख्य कथन के पद क्रमांक 3 में साक्ष्य दी है कि उक्त बीमा पॉलिसी को प्र.एन.ए. 1 से प्रदर्शित कराकर ब से ब भाग पर शपथकर्ता के सत्यापित हस्ताक्षर है। इस साक्ष्य के आधार पर वाहन क्रमांक एम.एच. 31 सी.बी. 9115 अना.क्र. 3 के पास बीमित होना पाया जाता है।

10. प्र.एन.ए. 1 बीमा पॉलिसी दस्तावेज के अनुसार वाहन के स्वामी के रूप में सुरेन्द्र कुमार पिता हीरालाल गौतम का नाम दर्ज है जो मामले में

अना.क्र. 2 है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख पर पेश है जिसके अनुसार चालक के विरुद्ध धारा 304-ए भा.द.वि. के अनुसार थाना परसवाड़ा में दर्ज हुआ है, घटनास्थल से वाहन जप्त हुआ है। जप्तीपत्र दिनांक 09.12.2015 समय 13:00 बजे की प्रमाणित प्रति के अनुसार गोलू उर्फ लक्ष्मीप्रसाद बोपचे वाहन चालक था, का ड्रायविंग लाईसेंस व अन्य दस्तावेज अना.क्र. 1 से जप्त है। तदनुसार विचारणीय प्रश्न क्र. 2 प्रमाणित पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

11. विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी पर है। अनावेदक क्रमांक 3 के साक्षी अनुपम शुक्ला ने मुख्य कथन पेश कर पद क्रमांक 3 में साक्ष्य दी है कि वाहन क्रमांक एम.एच. 31 सी.व्ही. 9115 व्यवसायिक ट्रांसपोर्ट वाहन है। घटनास्थल का परमिट होना आवश्यक है। उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में दर्ज है। दुर्घटना पोंगारजोड़ी थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट में कारित हुई है जो म.प्र. राज्य में है, वाहन का परमिट म.प्र. राज्य के लिए नहीं है, बीमा शर्त का उल्लंघन किया गया है। इसी साक्षी ने पद क्रमांक 4 में साक्ष्य दी है कि बीमा कंपनी की ओर से आदेश 11 नियम 14 सी.पी.सी. का आवेदन देने के बाद भी वाहन स्वामी ने परमिट अभिलेख पर पेश नहीं किया है। आपराधिक प्रकरण में जप्त परमिट महाराष्ट्र राज्य का है। म.प्र. राज्य की सीमा का परमिट न होने से बीमा शर्तों का उल्लंघन है। बीमा कंपनी दुर्घटना के लिये उत्तरदायी नहीं है।

12. उपरोक्त साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अनावेदक क्रमांक 2 ने अपने वाहन का परमिट अभिलेख पर पेश नहीं किया है। अना.क्र. 1 के पास भारी वाहन चलाने का ड्रायविंग लाईसेंस वैधता अवधि 19.06.2016 तक की होना जप्तीपत्र दिनांक 09.12.2015 समय 13:00 बजे में अंकित है। म. प्र. राज्य के परमिट के अभाव में बीमा शर्त का उल्लंघन कर अना.क्र. 1 द्वारा

वाहन चलाया जाना प्रमाणित पाया जाता है। उक्तानुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 निराकृत किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :-

13. विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 के निराकरण हेतु आवेदक पक्ष ने कोई साक्ष्य नहीं दी है इसलिए राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अनावेदक क्रमांक 3 के साक्षी अनुपम शुक्ला ने पद क्रमांक 5 में साक्ष्य दी है कि मृतक मोहनलाल की पत्नी सविता उर्फ द्वारका ठाकरे का मोटर दुर्घटना दावा प्रथम सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण बालाघाट के न्यायालय में लम्बित है। इस प्रकार इसी दुर्घटना से उत्पन्न मृतक की पत्नी ने पृथक् दावा पेश किया है स्पष्ट है। तर्क के अनुसार उक्त आधार पर आवेदकगण ने इस मामले में कोई साक्ष्य नहीं दी है। इसलिए आवेदकगण की आश्रितता भी प्रमाणित नहीं है। इसलिए आवेदकगण 22,50,000/-रुपया अथवा उसका कोई अंश भाग और उस पर 9 प्रतिशत ब्याज या अन्य ब्याज पाने के अधिकारी नहीं है। उक्तानुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 निराकृत किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 5 सहायता एवं व्यय :-

14. विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 4 पर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवेदकगण, अनावेदकगण से पृथक्-पृथक् अथवा संयुक्त रूप से क्षतिपूर्ति के मद में किसी भी सीमा तक राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। परिणामतः दावा निरस्त किया जाता है।

- {A} तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।
 {B} अधिवक्ता शुल्क 1100/-रुपए देय हो।
 {C} अनावेदक क्रमांक 3 का वाद व्यय आवेदकगण वहन करेंगे।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर मेरे डिक्टेशन पर टंकित
 खुले न्यायालय में घोषित किया गया। किया गया।

सही /—
 (माखनलाल झोड़)
 सदस्य
 द्वि.अति.मो.दु.दा.अधि.बालाघाट
 श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही /—
 (माखनलाल झोड़)
 सदस्य
 द्वि.अति.मो.दु.दा.अधि.बालाघाट
 श्रृंखला न्यायालय बैहर

—:: व्यय तालिका ::—

क	विवरण	आवेदक	अनावेदक क. 1, 2	अनावेदक क. 3
1.	वाद पत्र पर शुल्क	15.00	-	-
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	-	10.00	10.00
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10.00	-	-
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	-	-
5.	अधिवक्ता फीस	1100.00	1100.00	1100.00
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-	-	-
	योग —	1125.00	1110.00	1110.00

सही / —
(माखनलाल झोड़)

सदस्य

द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर